UPSI120000432003

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–456/2003

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

01. जगदम्बा प्रसाद पुत्र पुत्तू लाल।
02. जगदीश नरायन, पुत्र पुत्तू लाल, निवासीगण ग्राम बहेरवा, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर। ....**अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–263/2003
धारा–325, 504, भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

01. वादी मुकदमा राम लखन वर्मा, के द्वारा थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिसवाँ की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद व जगदीश नरायन के विरुद्ध अपराध संख्या–263/2003, अन्तर्गत धारा 325, 504, भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02. अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा राम लखन वर्मा के द्वारा थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर पर तहरीर इस आशय की पंजीकृत करवायी गयी कि प्रतिवादी की लड़की अमिया उठा ली थी इसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मुझे खींचकर मारे पीटे तथा मेरी पत्नी को घसीट कर मारे जिससे मेरी पत्नी को काफी चोटें आयी हैं. रिपोर्ट को आया हूँ। जो लिखाया पढ़वाकर सुना। हस्ताक्षर बनात हूँ।

03. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना बिसवाँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 323, 504, भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

04. विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद व जगदीश नरायन के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 325, 504,भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05. अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

06. दिनाँक 28.06.2004 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 325, 504, भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

07. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	राम लखन वर्मा	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
2.	उर्मिला देवी	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

08. अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	–
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क [1]
4.	नक्शा नजरी	–
5.	चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट उर्मिला देवी	–

09. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

10. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 24.03.2026 को अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद व जगदीश नरायन का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, साक्षी पी०डब्लू० 1 राम लखन वर्मा, पी०डब्लू० 2, उर्मिला देवी के बयान के विषय में कुछ नहीं जानता, मुकदमा रंजिशन चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

11. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

12. **साक्ष्य विश्लेषणः–** न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 325, 504, भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

13. **साक्षी पी०डब्लू० 1 राम लखन वर्मा ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि** घटना 3 साल पूर्व की है। पौने 11:00 दिन की है। जगदंबा का लड़का विपिन कुमार बाग से आम लाया था। अमिया को लेकर मेरी पत्नी व जगदंबा प्रसाद की माँ से झगड़ा हुआ था। मेरी पत्नी उर्मिला, जगदीश प्रसाद, जगदंबा प्रसाद और जगदंबा की माँ गाली दे रहे थे। गाली देते समय मैं नहीं था। मेरी पत्नी को जगदीश प्रसाद, जगदंबा ने डंडा से मारा था। मेरी औरत की दाहिने हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई और शरीर में चोट लगी थी। मुल्जिमान मेरी औरत को घसीट घसीट कर मरे हैं। घटना की जवानी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। घटना के बारे में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। घटनास्थल पर जाकर नक्शा नजरी बनाया था। मैंने अपनी औरत की डॉक्टरी सरकारी अस्पताल बिसवाँ में कराया था। एक्स–रे सरकारी अस्पताल सीतापुर में कराया था।

14. प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे गवाही के लिए सम्मन नहीं गया था। ए०पी०ओ० साहब ने बताया था। रामलखन के मकान के पड़ोस नाली है। उसी जगह पर घटना हुई थी। घटना के समय में मौजूद नहीं था। मुझे नहीं मालूम है कि किसने मुझे गाली दिया कौन मारा पीटा था। बाद में मुझे मालूम हुआ। जब मैं आया तब देखा कि मुल्जिमान मेरी पत्नी को मारे। जब मैं आया तब बवाल हो रहा था। चोट चपेट लगी थी। जगदंबा प्रसाद, जगदीश प्रसाद खेत में पिपरमेंट निकल रहे थे तब जगदंबा प्रसाद का लड़का इन लोगों से बताया, तब यह लोग आए तथा मारा पीटा था। जब मैं बाद में आया तब मुल्जिमान मुझे भी मारा पीटा। मेरी औरत के शरीर पर काफी जगह चोट लगी थी। इसके बाद अपनी औरत को साइकिल से लेकर थाना लाया था। थाने में 12:30 बजे पहुंचा था। मैं जुबानी रिपोर्ट लिखाया था। मेरे साथ थाना में मेरा लड़का पंकज कुमार और मैं था। इसके बाद मैं डॉक्टरी कराने गया था। अस्पताल 1:00 बजे पहुंच गया था। करीब एक घंटा डॉक्टरी में लग गया था। एक्स–रे घटना के तीन दिन बाद सरकारी अस्पताल सीतापुर गया था। मेरे घर से थाना करीब 6 किलोमीटर है। मेरा व विपक्षिगण का जमीन का विवाद चल रहा है। इस समय वहमी बटवारा है। मारपीट वाले स्थान से मेरा मकान 25 कदम दूर है। मेरे

घर के सामने छप्पर पर के निकट एक नांद रखी है। घटनास्थल से राम गुलाम की नांद 12 कम की दूरी पर है अभियुक्तगण का मकान 25 कदम दूर है। मारपीट खड़ंजा पर हुई थी। मारपीट लगभग पौने 11:00 बजे दिन में हुई थी। घटना के समय मेरा अभियुक्तगण का मुकदमा न्यायालय परगना अधिकारी के यहां एक मुकदमा चल रहा था। घटना के पहले से चला था। यह कहना गलत है कि जगदीश व जगदंबा ने मेरी पत्नी को मारा पीटा न हो। यह कहना गलत है कि मैं डॉक्टरी रुपया देकर फर्जी कराया है।

15. **साक्षी पी०डब्लू० 2 उर्मिला देवी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है की** घटना करीब ढाई साल पहले की है। घटना 10:00 बजे दिन की है। उस समय घर में कोई नहीं था। लड़कों में बातचीत हुई। जगदंबा प्रसाद का लड़का विपिन कुमार और मेरे लड़के देवेंद्र से बाग में कहां सुनी हुई। विपिन कुमार जब घर आए तब अपनी आजी से कुछ शिकायत किया, तब विपिन कुमार की दादी मेरे लड़के को गाली देने लगी, इतने में मेरे पति रामलखन आए उनसे गली नहीं सुनी गई तब रामलखन ने एक गाली दिया, तब विपिन कुमार की दादी ने विपिन कुमार को खेत में भेजा, तब जगदंबा प्रसाद, जगदीश खेत से आए तब जगदंबा प्रसाद ने मेरे लड़के के हाथ में मारा तब मेरा लड़का चिल्लाता हुआ मेरे पास आया, तब मेरे पति को जगदंबा प्रसाद व जगदीश प्रसाद मेरे पति को मारने लगे। मैं पड़ोस से अपने और अपने पति को छुड़ाने लगी। तब मुझे भी जगदंबा प्रसाद लात घूसों से मारा। जगदीश 4–5 हाथ, लाठी से मारा। मेरे दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई और दाहिने और बाएं पैर पर चोट आई थी। एक लाठी सर पर मरे थे। खोपड़ी फूट गई थी। जब खोपड़ी फूट गई तब मुल्जिमान भाग करके अपने अपने घर में घुस गए। मुल्जिमान रामलखन को खड़ंजे पर मरे थे और मुझे मेरे दरवाजे पर। रामलखन को नांद के पास मारे थे। रिपोर्ट करने मेरे पति थाना आए थे, मैं साथ में थी। डॉक्टरी सरकारी अस्पताल बिसवाँ में हुई थी। एक्स–रे सीतापुर हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मौके पर बहुत से लोग टोला भर के लोग थे।

16. प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे पति मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे इशारा नहीं कर रहे हैं। घटना 09–10 बजे की है। मुझे तारीख नहीं मालूम है। मुझे किसी आदमी ने नहीं बताया था कि विपिन बिहारी बाग से अमिया तोड़ लाया था। विपिन कुमार की दादी नहीं गई थी। विपिन कुमार खेत 10:00 बजे गया था। मुझे विपिन कुमार की दादी गाली दे रही थी। पहले मुल्जिमान मेरे लड़के को मारा इसके बाद मेरे पति को मारा। मैंने जब छुड़ाने लगी तब मुझे मरने लगे। घटना के समय विपिन कुमार की दादी व मां थी। बहन थी। जब मेरे लड़के को मार रहे थे, तब मैं घर पर नहीं थी। जब मेरे पति को मारने लगे थे तब मेरा लड़का देवेंद्र कुमार मुझे बताया। मुझे घटना के पहले मेरा वह मुल्जिमान का जमीन का बटवारा चल रहा है। चोट लगने के बाद मेरे पति साइकिल मेरे घर आए। थाना 12:00 बजे पहुंची थी। रिपोर्ट मेरे पति ने लिखायी थी। रिपोर्ट दरोगा जी ने लिखी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद सरकारी अस्पताल बिसवाँ और मेरे पति गए थे। अस्पताल आधा घंटा था। 12:30 बजे पहुंच गई थी। आधा घंटा समय लगा था। डॉक्टर साहब को समय नहीं दिया था। जगदीश ने मुझे लाठी से मारा जगदंबा ने लात घूसों से मारा था। घटना के तीसरे हफ्ते दरोगा जी मेरे यहां आए थे। मारपीट वाला स्थान दरोगा जी को दिखाया था और नक्शा बनवाया था। दरोगा जी जब नक्शा बनाया था वहाँ पर केवल जगदीश की मां थी। एक्स–रे सीतापुर में हुआ था। एक्स–रे घटना के तीन दिन बाद सीतापुर में हुआ था। प्लास्टर नहीं चढ़ा था पट्टी चढ़ी थी। मारपीट के स्थान से मुलजिमानों का मकान 15 कम की दूरी पर है। मेरी आधी धोती खून से भीग गई थी। खून वाले कपड़े मैंने दरोगा जी को दिखाया था। कपड़े नहीं लिए थे। मेरे दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। दाहिने और की भौं पर चोट लगी थी। मेरे पति को चोट नहीं लगी थी। चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गई थी। पहले जगदंबा प्रसाद ने लात घुसो से मारा था। जगदंबा प्रसाद मेरे पति को मार रहे थे। जब मैं पहुंची थी तब मुल्जिमान मेरे पति को गाली दे रहे थे तब मैं वहाँ पर नहीं थी। मुझे मुल्जिमानों ने मारा पीटा था , घसीटा नहीं था। यह कहना गलत है कि मुझे चोट न आई हो। मैं झूठी डॉक्टरी बनवाई है। यह कहना गलत है कि मेरा मुल्जिमान के बीच बटवारा का विवाद चल रहा है इस वजह से रंजिशन मैं मुल्जिमान को फंसा दिया है।

बचाव पक्ष तथा अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभियोजन पक्ष अनुपस्थित। साक्षी पी०डब्लू० 01 राम लखन वर्मा ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि घटना 3 साल पूर्व की है। पौने 11 की है। मेरी पत्नी उर्मिला जगदीश प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद और जगदम्बा की माँ गाली दे रहे थे। **गाली देते समय मैं नहीं था।** घटना की जुबानी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया था। साक्षी पी०डब्लू० 01 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया गया कि **घटना के समय मै मौजूद नहीं था।** मुझे नहीं मालूम की किसने मुझे गाली दिया, कौन मारा पीटा था। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 उर्मिला देवी द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया गया कि घटना करीब ढाई साल पहले की है। घटना 10 बजे कि है। **उस समय घर में कोई नहीं था।** मुझे तारीख नहीं मालूम। जब मेरे लड़के को मार रहे थे तब मैं घर पर नहीं थी। जब मेरे पति को मारने लगे थे तब मेरा लड़का देवेन्द्र कुमार ने मुझे बताया। मेरे चोट आने पर कोई प्लास्टर नहीं चढ़ा था। बस पट्टी चढ़ी थी।

<u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्त साक्षियों के बयानों से अवलोकन व परिशीलन से प्रतीत होता है कि घटना उस समय को लेकर दोनों साक्षियों में सपष्ट विरोधाभाष है व समय को लेकर भी विरोधाभाष है। स्वयं साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा न्यायालय में बयान दिया गया कि गाली देते समय मैं वहां नहीं था जिससे यह स्पष्ट है कि घटना के तथ्यों का समर्थन साक्षी द्वारा नहीं होता है क्योंकि वह उक्त स्थान पर मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 01 ने अपने प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि **घटना के समय मै मौजूद नहीं था। मुझे नहीं मालूम की किसने मुझे गाली दिया व किसने मारा पीटा।**

साक्षी पी०डब्लू० 02 उर्मिला देवी ने घटना के बारे में बताया कि घटना ढाई साल पुरानी है व पी०डब्लू० 01 ने कहा कि घटना 3 वर्ष पुरानी है जो कि स्पष्ट विरोधाभाष प्रतीत होता है। समय को भी लेकर दोनों में विरोधाभाष है। प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी उर्मिला देवी ने बयान दिया कि मुझे तारीख नहीं मालूम है। घटना के समय़ विपिन कुमार की दादी व माँ थी परन्तु साक्ष्य के तौर पर इनको न्यायालय में पेश नहीं किया गया। **जब मेरे लड़के को मार रहे थे तब मैं घर पर नहीं थी।** उपरोक्त साक्षी उर्मिला देवी द्वारा स्वयं अपने प्रति परीक्षा में बयान दिया गया है कि घटना के समय मैं घर पर नहीं थी जिससे घटना को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। जब मेरे पति को मारने लगे थे तो मेरे लड़के देवेन्द्र कुमार ने मुझे बताया किन्तु न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में देवेन्द्र कुमार का बयान अंकित नहीं किया गया है। दौरान अंतिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गय है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस संदेह से परे साबित करना होगा और केवल अपने साक्ष्य से ही अपना केस संदेह से परे साबित करना होगा जिसके सबूतों की न टूटने वाली चैन होनी चाहिए जिसमें किसी तरह के होल नहीं होने चाहिए तभी अभियोजन केस साबित माना जायेगा। यदि अभियोजन ऐसा साबित करने में असफल होता है तो संदेह का लाभ अभियुक्तगण को मिलेगा।

<u>Ram Manohar and others Vs. State of U.P.</u> **Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)**–Criminal Trial–The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.– **Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court)** Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. **[2014 (85) ACC 182] –Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court)** Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence. For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

Banne alias Baijnath and others Vs. State **– Criminal Appeal 1358 of 1980, February, 2000, (Allahabad High Court)** Well established principle Onus of proving all the ingredients of an offence– Is always upon the prosecution– At no stage it shifts to the accused – Accused is to explain or controvert it only when this burden is discharged by prosecution. Before coming to the evidence which has been brought on record, we may first state that is is well established that the onus of proving all the ingredients of an offence is always upon the prosecution and at no stage the same shifts to the accused. It is only when this burden is discharged that it will be for the accused to explain or controvert the essential elements in the prosecution case which would negative. It is not for the accused at the initial stage to prove something which was to be eliminated by the prosecution to establish the ingredients of the offence with which the accused is charged, and even where the onus shifts upon the accused and the accused has to establish his plea, like the plea of self defence, the standard of proof is not the same as that which rests upon the prosecution. The standard of proof which the accused may discharg in support of his plea in defence is not the same which the prosecution is required to adhere and once the probability of the accused's plea is established he is entitled to the benefit of doubt.

पत्रावली पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन को कई अवसर दिये गये। दिनाँक 02.08.2025 को साक्षियों के विरुद्ध साक्षी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया परन्तु अगली कई नियत तिथियों तक साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। **अभियोजन को 11 अवसर दिये गये किन्तु अभियोजन द्वारा शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।**

बचाव पक्ष की ओर से दौरान अन्तिम बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के लिये गये बयानों में व न्यायालय में गवाहान द्वारा दिये गये

ब्यानों में यदि गम्भीर विरोधाभाष पाया जाता है तो इसका लाभ निश्चिम रूप से अभियुक्तगण को मिलेगा और ऐसी दशा में अभियुक्तगण दोषमुक्त होने के हकदार होंगे।

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी है। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था "हरिजना नारायण एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०एल०आर० 2003 ए०सी० 2851" में यह अभिनिर्धारित किया है कि "जब अभियोजन कथानक में विभिन्न स्तर पर विरोधाभाष दिखायी देता है और न्यायालय की स्थिति असमंजस वाली हो जाती है तथा न्यायालय के लिये सत्यतता की खोज करना थोड़ा कठिनाई पूर्ण लगता है और सत्यतता की खोज करने में असमर्थ होते है और यह पाया जाता है कि सत्यतता और मिथ्यापन जटिल ढंग से मिश्रित हो गये हैं और वास्तव में उन्हें पृथक करना कठिन है तो ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है।"

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य, बयानों में स्पष्ट विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और न ही स्वाभाविक है। यह सही है कि सामान्य प्रकृति के विरोधाभाष से अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जहाँ यह विरोधाभाष असामान्य प्रकृति का हो और major contradictions हो तो ऐसी दशा में अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें में समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केस सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद व जगदीश नरायन पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जगदम्बा प्रसाद व जगदीश नरायन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 325, 504 भा०दं०सं०, अपराध सं० 263/2003, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर को दोष मुक्त किये जाते हैं। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल संग्रहशाला हो।

<u>दिनाँक 05.05.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ सीतापुर।

यह निर्णय व आदेश आज दिनाँक 05.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनाँक 05.05.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-